विशाखपट्टणम में 21 सितंबर 2016 को सम्पन्न स्पाइसेस बोर्ड की 84 वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड की 84 वीं बैठक डॉल्फ़िन होटल्स लिमिटेड, विशाखपटणम में 21 सितंबर 2016 को सायं 4.00 बजे संपन्न हुई।

डॉ.ए.जयतिलक आई ए एस, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. श्री बी.एम. मुनिराजू
2. श्री ई.एम.अगस्ती, उपाध्यक्ष
3. श्री रवेला गोपालकृष्णा
4. श्री नागराजन, निदेशक, सी एफ टी आर आई, मैसूर का प्रतिनिधि
5. श्री अंजो . टी. जोस
6. श्री अनिल सिंह, निदेशक(बागान), वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि
7. श्री खोरलो भूटिया, सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि
8. श्री जिया-उद-दीन अहमद
9. श्रीमती रूपा दत्ता, निदेशक, वित्त प्रभाग, वाणिज्य मंत्रालय
10. श्री जोजो जॉर्ज
11. सुश्री दिव्या अय्यर आई ए एस, निरीक्षक के रूप में उपस्थित

निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई:

श्री भास्कर शाह
श्रीमती विजयलक्ष्मी, फलदा अग्रो रिसर्च फाउंडेशन्स प्रा. लि., बैंगलोर
निदेशक, नीति आयोग, नई दिल्ली
श्री बी.एस. येद्यूरप्पा , माननीय सांसद [लोक सभा]
श्री प्रताप सिंहा, माननीय सांसद [लोक सभा]
डॉ.विजु जेकब
श्रीमती अनीता कारणवर
श्री अंजोय अमा, अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि
निदेशक, आई आई एस आर, कोषिक्कोड
डॉ. एन.सी.साहा,निदेशक, आई आई पी, मुंबई
डॉ. मात्यू सामुवेल कलरिक्कल
श्री एस. तंकवेलु, माननीय सांसद [राज्य सभा]

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित थे :

1. श्री कुमारलाल एम. तहिलियानी, साझेदार, मेसर्स एशियन फूड इंडस्ट्रीस, गुजरात

2. श्री डी.वी.आर. राजीव मोहन, मेसर्स आई टी सी लिमिटेड,कोलकाता
3. श्री षकील अहमद, संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली
4. श्री अजित तोमस, ए वी टी मैक-कोर्मिक इंग्रेडियन्स प्रा.लि., चेन्नई
5. प्रधान सचिव, बागवानी विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
6. प्रधान सचिव, बागवानी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री एस.सिद्दरामप्पा, प्रभारी सचिव
2. श्री एस.कण्णन , निदेशक (विपणन व स्थापना)
3. डॉ. ए.बी. रमाश्री, निदेशक (अनुसंधान)

मद सं.1: 24 जून 2016 को नई दिल्ली में सम्पन्न स्पाइसेस बोर्ड की 83वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण

चूंकि सदस्यों से 83 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, बोर्ड ने कार्यवृत्त की पुष्टि की।

मद सं. 2 : 24 जून 2016 को नई दिल्ली में सम्पन्न स्पाइसेस बोर्ड की 83 वीं बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट

सदस्यों ने बोर्ड की 83वीं बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट की सराहना की ।

मद सं. 3: इलायची(छोटी) केलिए उत्पादकता पुरस्कार

बोर्ड ने विवरणों को नोट किया ।

मद सं. 4 : सामूहिक दृष्टिकोण(पद्धति) के ज़रिए जैव गाँव को अपनाते हुए मसालों में जैव खेती को बढ़ावा देने केलिए एकीकृत परियोजना का प्रस्ताव और परंपरागत कृषि विकास योजना (पी के वी वाई)के अधीन आठ उत्तर पूर्वी राज्यों में पी जी एस प्रमाणन

अध्यक्ष महोदय ने पी के वी वाई के अधीन मसाला फसलों के विकास केलिए इसीप्रकार की परियोजनाओं को तैयार करने हेतु पी के वी वाई के अधीन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की प्रति प्राप्त करने केलिए डॉ. तंपी, उप निदेशक, प्रादेशिक कार्यालय, गुंटूर को श्री चिरंजीव चौधरी, प्रमुख सचिव(बागवानी), आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद-500022 से मिलने को सूचित करने का अनुदेश दिया।

मद सं. 7: मसाला विकास अभिकरण (एस डी ए) की स्थापना पर स्थिति रिपोर्ट

बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं. 9: वर्ष 2016-17 केलिए निर्धारित गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम

बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं.14: गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा विश्लेषित परेषण नमूनों की स्थिति
बोर्ड ने विवरण नोट किए।

<u>अन्य चर्चाएँ</u>

मद सं. 2 : श्रीमती अल्का टंडन, सचिव(बागवानी), उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि का अनुरोध
अध्यक्ष महोदय ने यह जानना चाहा कि क्या इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भेजा गया है या नहीं।

<u>कार्यसूची मदें :</u>

मद सं. 3: विश्वसनीय तौर पर विश्लेषणात्मक कार्य के आउटसोर्सिंग के लिए रक्षोपाय का विकास।
बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं.4: गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा विश्लेषित परेषण नमूनों की स्थिति
बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं. 5 : गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं की स्थापना पर स्थिति रिपोर्ट
बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं. 6 : इलायची इ-नीलम केंद्र, बोडिनायकन्नूर, तमिल नाडु
बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं. 7 : स्पाइस म्यूसियम व सिग्नेचर स्टॉल की स्थापना का प्रस्ताव
बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं. 8 : अवसंरचना विकास योजना (आई डी एस)
33.89 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध व्यय, और मसाले प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की ज़ोरदार जरूरत को देखते हुए बोर्ड ने अवसंरचना विकास योजना केलिए अतिरिक्त निधियों को निर्मोचित करने की आवश्यकता पर पुनः बल दिया।

मद सं. 9 : सिक्किम में स्पाइस कॉम्प्लेक्स की स्थापना केलिए प्रस्ताव
बोर्ड ने विवरण नोट किए। सिक्किम में मसाला पार्क की स्थापना केलिए एम ओ वी सी डी के अधीन एकीकृत प्रसंस्करण इकाई का जो प्रस्ताव है उस पर विचार किया गया।

मद सं.10:जैव छोटी इलायची केलिए विशेष पुरस्कार के अधीन नकद पुरस्कार में वृद्धिलाना
बोर्ड ने प्रस्ताव मंजूर किया ।

मद सं.11: एम आई डी एच के अधीन एन एल ए के रूप में स्पाइसेस बोर्ड केलिए वर्ष 2016-17 केलिए संशोधित कार्य योजना

बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं.12: जीवनाशी अवशेष और इलायची में कृत्रिम हरे रंग के प्रयोग के मामले का सामना करने केलिए चलाए गए आउट-रीच कार्यक्रम पर रिपोर्ट

श्री जोजो जॉर्ज और श्री आँजो टी जोस, बोर्ड सदस्यों ने किसानों द्वारा जीवनाशियों का अविवेकपूर्ण प्रयोग और कृषकों द्वारा शुष्कन के पहले ताज़ी इलायची संपुटिकाओं पर कृत्रिम रंग लगाने के मामलों को उठाया। उन्होंने बोर्ड के अनुसंधान व विकास विभाग से किसानों व व्यापारियों के बीच हरे रंग लगाने तथा जीवनाशी अवशेष पर जागरूगता कार्यक्रमों का आयोजन करने का अनुरोध किया क्योंकि जापान जैसे देशों द्वारा इलायची का तिरस्कार किया गया है। साथ ही साउदी अरब को किए जानेवाले निर्यात में दिखाई दे रही कुछ अस्वीकृति से और निकट भविष्य में अन्य देशों में इस प्रकार की खबरें फैलने से सावधान किया।

इलायची में कृत्रिम रंग छिटकने की प्रक्रिया को समाप्त करने और जीवनाशी अवशेष पर नियंत्रण लाने केलिए किसप्रकार तुरंत कार्रवाई की जाएँ, इस विषय पर बोर्ड सदस्यों के बीच विस्तार से चर्चा हुई।

श्री ई.एम.अगस्ती, उपाध्यक्ष ने छह महीने का समय प्रदान करते हुए, तत्काल प्रभाव से किसानों को समझाने और विपणि से कृत्रिम रंग लगाई इलायची के सभी स्टॉक को हटाने और उसके बाद नीलाम केन्द्रों में किसानों/व्यापारियों से, किसी भी परिस्थिति में, कृत्रिम रंग लगाई इलायची को स्वीकार न किए जाने का सुझाव सामने रखा। इस प्रस्तावित कार्य को इलायची किसानों व व्यापारियों के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु एक विशेष समाचार के रूप में पर्याप्त मीडिया कवरेज दिया जाना चाहिए ।

बोर्ड-सदस्यों ने लेबल दावे के साथ वास्तविक जीवनाशी के प्रयोग तथा इलायची नमूनों में न्यूनतम स्तर के नीचे के अवशेष स्तर केलिए संस्तुति का सुझाव दिया। जागरूकता कार्यक्रमों से संबन्धित पूछताछों केलिए, निदेशक(अनुसंधान) ने उत्तर दिया कि आई सी आर आई ने जीवनाशी अवशेष के मामलों के संबंध में मैलाडुंपारा के विकास विभाग के साथ संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए है और इलायची बढ़ाए जानेवाले इलाकों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण और स्पाइस क्लीनिक के रूप में इसे और तीव्र बनाने के प्रयास में है। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि नीलाम केन्द्रों में लाने से पहले किसानों को ताज़ी इलायची में कृत्रिम रंग देने की प्रथा को बंद करने केलिए अनुदेश दिए जाएंगे। वर्तमान स्टॉक को खाली करने केलिए छह महीनों की अन्तरिम अवधि की अनुमति दी जाएगी, उसके बाद यादृच्छिक नमूनन और जांच को अनिवार्य बना दिया जाएगा। स्थिति को जानने और इलायची पर रंग चढ़ाने की प्रथा को दूर करने हेतु संबन्धितों को सावधान करने केलिए एक यादृच्छिक निरीक्षण चलाया जाएगा ।

मद सं. 13: रैपिड अलर्ट -आर ए एस एफ़ एफ़ और जापान के खाद्य सुरक्षा मानकों की स्थिति

बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं. 14: वित्तीय वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही केलिए मसालों का निर्यात
बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं. 15: इ-स्पाइस बाज़ार ट्रेसबलिटी परियोजना की स्थिति
बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं. 16: मसालों व पाक शाक पर कोडेक्स समिति का तीसरा सत्र
बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं. 17: मसाला पार्क की स्थिति
बोर्ड ने विवरण नोट किए।

मद सं. 18: स्पाइसेस बोर्ड (भर्ती)विनियम 2010 में सुधार
बोर्ड ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और कृत कार्रवाई की पुष्टि की ।

अन्य चर्चाएँ

1) जी एस टी 2) आधार कार्ड

श्रीमती रूपा दत्ता, निदेशक(वित्त), वाणिज्य मंत्रालय और बोर्ड-सदस्य ने बोर्ड को स्पाइसेस बोर्ड से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने केलिए आधार कार्ड लिंक करने का कार्य प्रारम्भ करने को सूचित किया।

सचिव महोदय ने स्पाइसेस बोर्ड द्वारा विकसित किए जा रहे एक नया सॉफ्ट वेयर, " ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम ", जिसमें स्पाइसेस बोर्ड से इमदाद प्राप्त करने केलिए किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय आधार कार्ड अनिवार्य बनाया गया है, को विकसित करने में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विवरण दिया। जिन किसानों को अभी तक आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए यू आई डी ए आई के सहयोग से एक अलग शिविर का आयोजन किया जाय। इस संबंध में एक पत्र डी बी टी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) कक्ष, वाणिज्य मंत्रालय को तुरंत भेजा जाय।

डॉ. दिव्या.एस.अय्यर आई ए एस, निरीक्षक ने जी एस टी के बारे में विवरण दिया। अध्यक्ष महोदय ने सुझाया कि कोई भी निजी व्यापार निकाय जी एस टी में उचित सुधार लाने हेतु अपने सुझाव शामिल करने केलिए मंत्रालय को सीधे निवेदन कर सकता है।

श्री जोजो जॉर्ज ने जीएसटी के कार्यान्वयन से संबन्धित स्पाइसेस बोर्ड द्वारा वाणिज्य मंत्रालय को भेजी गई प्रतिक्रियाओं की एक प्रति केलिए अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को अपनी सक्रिय प्रतिभागिता केलिए कृतज्ञता ज्ञापित की और सायं 5.30 बजे बैठक समाप्त हुई।

****